वनसंरक्षण अधिनियम 1980 के तहत वनभूमि प्रत्यावर्तन के प्रस्ताव
(भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना अनुसार)

भाग– II
(संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

प्रस्ताव की राज्य कम संख्या :– FP/CG/TRANS./17263/2015

7-		परियोजना/स्कीम का स्थान	कार्यपालन अभियन्ता अति उच्च दाब (निर्माण) सभाग छ.रा. वि. पारे. क. मर्यादित कोरबा छत्तीसगढ़ द्वारा लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर–प्रतापपुर लाईन के लो. नम्बर 31/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र वाड्रफनगर विद्युत पारे ण लाईन का निर्माण किया जाना है। उक्त लाईन राजकीय राजमार्ग 3 के दोनों किनारों से प्रस्तावित है। इस निर्माण कार्य में सूरजपुर वनमंडल में 19.907 हेक्टेयर वनभूमि गैर वानिकी उपयोग हेतु प्रभावित होती है जो न्यूनतम है।
	i.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	छत्तीसगढ़
	ii.	जिला	सूरजपुर
	iii.	वन प्रभाग	सूरजपुर वनमण्डल सूरजपुर, परिक्षेत्र प्रतापपुर एवं घुई
	iv.	वनोत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित वन भूमि का क्षेत्र है	19.907 हेक्टेयर
	v.	वन की कानूनी स्थिति	
		(क) संरक्षित वन (P110,P111,P112,P113,P120,P131)	7.450 हेक्टेयर
		(ख) आरक्षित वन (RF-132)	4.097 हेक्टेयर
		(ग) असीमाकित संरक्षित वन	0.000 हेक्टेयर
		(घ) राजस्व वनक्षेत्र	8.360 हेक्टेयर
		योग :–	**19.907 हेक्टेयर**
	vi.	हरियाली का घनत्व	.0.5
	vii.	प्रजातिवार (वैज्ञानिक नाम) और परिधि श्रेणीवार वृक्षों की परिगणना (संलग्न की जाए) सिंचाई/जलीय परियोजनाओं के संबंध मं एफ.आर. एल., एफ.एफ.आर.एल.–2 मी. परिगणना और एफ.आर.एल. 4 मी. भी संलग्न किये जाए।	वृक्षों का गणना प्रतिवेदन संलग्न है । गणना प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न प्रजाति के कुल 2721 नग वृक्ष खडे हैं ।
	viii.	भूक्षरण के लिए वन क्षेत्र की संवेदनशील पर संक्षिप्त टिप्पणी	लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी.एस. विश्रामपुर–प्रतापपुर लाईन के निर्माण हेतु आवेदित आरक्षित वनभूमि, संरक्षित वन भूमि एवं राजस्व वनभूमि में भू–क्षरण नगण्य है।
	ix.	वनेत्तर प्रयोग के लिये प्रस्तावित स्थल की वन की सीमा से अनुमानित दूरी.	प्रस्तावित पारेशण लाईन परियोजना का कार्य वनभूमि से गुजर रही है । (मानचित्र संलग्न)
	x.	क्या यह राष्ट्रीय उद्यान,वन्यजीव अभ्यारण्य, जैब मंडल रिजर्व, बाघ रिजर्व हाथी, कोरीडोर, आदि का भाग है (यदि हाँ, क्षेत्र का ब्यौरा और प्रमुख वन्यजीव वार्डन की टिप्पणियाँ अनुबंधित की जाए)	नही है

NAVEED SHUJAUDDIN
(I F S.)
Divisional Forest Officer
Surajpur Division ,Surajpur(C.G.)

<table>
<tr><td></td><td>xi.</td><td>क्या क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ पाई जाती है, यदि हाँ/तो तत्संबंधी ब्यौरा दें ।</td><td>नही है</td></tr>
<tr><td></td><td>xii</td><td>क्या कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र में स्थित है। यदि हाँ तो तत्संबंधी ब्यौरा सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।</td><td>प्रस्तावित परियोजना लिलो ऑफ 132 के.व्ही. डी.सी.डी. एस. विश्रामपुर–प्रतापपुर लाईन के लो. नम्बर 31/0 से टेपिंग कर प्रस्तावित 132/33 के.व्ही. उपकेन्द्र वाड्रफनगर विद्युत पारेशण लाईन मे सूरजपुर वनमण्डल के आवेदित वन भूमि के अन्तर्गत कोई भी सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र नहीं है।</td></tr>
<tr><td>8</td><td>.</td><td>प्रयोक्ता एजेंसी द्वारा भाग–1 कालम 2 मे प्रस्तावित वनभूमि की आवश्यकता परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है यदि नही तो, जाँचे गये विकल्पों के ब्यौरो सक्षम प्राधिकरण से अनापत्ति प्रमाण पत्र के साथ यदि अपेक्षित हो दें।</td><td>प्रस्तावित वनभूमि परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है</td></tr>
<tr><td>9</td><td></td><td>क्या अधिनियम के उल्लंघन में कोई कार्य किया गया है । (हाँ/नही) यदि हाँ तो कार्य की अवधि दोषी अधिकारियों पर की गई कार्यवाही सहित कार्य का ब्यौरा दे, क्या उल्लंघन संबंधी कार्य अभी चल रहे है।</td><td>नही</td></tr>
<tr><td>10</td><td></td><td>प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम का ब्यौरा</td><td></td></tr>
<tr><td></td><td>i.</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर क्षेत्र/अवक्रमित वनक्षेत्र आसपास के वन से इसकी दूरी भूखण्डों की संख्या प्रत्येक भूखण्ड का आकार।</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये ब्यापवर्तन हेतु प्रस्तावित 19.907 हेक्टेयर वन भूमि के एवज में दोगुने क्षेत्रफल के बराबर अवक्रमित वनक्षेत्र अर्थात 19.907x2 = 39.814 या 40 हेक्टेयर का विवरण
<table>
<tr><th>भूखण्ड</th><th>कक्ष कमांक</th><th>क्षेत्रफल हेक्टे.</th><th>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये कार्य योग भूखण्ड का आकार</th><th>टिप्पणी
प्रतिपूरक वनीकरण के लिये भूखण्ड वन भूमि पर है।</th></tr>
<tr><td>1</td><td>P 1628</td><td>87.919</td><td>40.000 हे.</td><td></td></tr>
</table></td></tr>
<tr><td></td><td>ii.</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित वनेत्तर/ अवक्रमित वन क्षेत्र और आस पास की वन सीमाओं को दर्शाता मैप ।</td><td>संलग्न हैं</td></tr>
<tr><td></td><td>iii.</td><td>रोपित की जाने वाली प्रजातियों सहित प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के विवरण कार्यान्वयन एजेंसी समय अनुसूची लागत ढाँचा आदि।</td><td>संलग्न हैं</td></tr>
<tr><td></td><td>iv.</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण स्कीम के लिये कुल वित्तीय परिव्यय।</td><td>रुपये 2,18,26,240.00</td></tr>
<tr><td></td><td>v.</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र की उपयुक्तता के बारे में और प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सक्षम प्राधिकरण से प्रमाण पत्र (संबंधित उप वन संरक्षक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)</td><td>प्रतिपूरक वनीकरण के लिये अभिनिर्धारित क्षेत्र प्रबंधकीय दृष्टिकोण से पूर्णतः उपयुक्त है।
प्रमाण पत्र संलग्न
NAVEED SHUJAUDDIN (I F S.)
Divisional Forest Officer
Surajpur Division, Surajpur(C.G.)</td></tr>
</table>

11		जिला वन संरक्षक की स्थल निरीक्षण रिपोर्ट विशेषतः उपयुक्त कालम 7 (xi,xii), 8 और 9 में पूछे गए तथ्यों को दर्शाते हुए (संलग्न करे)	आवेदित क्षेत्र में वनस्पति और प्राणिजात की दुर्लभ/संकटापन्न/विशिष्ट प्रजातियाँ नही पाई जाती है न ही आवेदित क्षेत्र में कोई सुरक्षित पुरात्तवीय/पारम्परिक स्थल/रक्षा प्रतिष्ठान और कोई अन्य महत्वपूर्ण स्मारक क्षेत्र मे स्थित है। वनभूमि की मांग प्रस्तावित परियोजना के लिए अपरिहार्य और न्यूनतम है। आवेदक संस्थान द्वारा वन अधिनियम 1980 का किसी भी प्रकार से उल्लंघन नही किया गया है
12-		विभाग/जिला प्रोफाईल	
	i.	जिले का भौगोलिक क्षेत्र	5181855 वर्ग कि.मी.
	ii.	जिले का वनक्षेत्र	
		आरक्षित वन	338.086 वर्ग कि.मी.
		संरक्षित वन	1423.844 वर्ग कि.मी.
		असीमांकित वन	–.–
		योग :–	1761.930 **वर्ग कि.मी.**
	iii.	मामलो की संख्या सहित 1980 से वनेत्तर प्रयोग में लाया गया कुल वन क्षेत्र ।	20 मामलो मे 21.417 **वर्ग कि.मी.**
	iv.	1980 में जिला/प्रभाग में निर्धारित कुल प्रतिपूरकः	
		क. दण्ड के रूप में प्रतिपूरक वनीकरण सहित वनभूमि।	निरंक
		ख. वनेत्तर भूमि पर ।	निरंक
	v.	तक प्रतिपूरक वनीकरण में हुई प्रगति :–	3517.587 हे.
		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश	
		क. वनभूमि।	3450.702 हे.
		ख. वेनेत्तर भूमि पर	66.885 हे.
13		प्रस्ताव को स्वीकृत करने अथवा प्रस्ताव को अन्यथा लेने के संबंध में उप वन संरक्षक की विशेष सिफारिश।	प्रस्तावित परियोजना के निर्माण होने से सरगुजा संभाग के सूरजपुर ,वं बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर {ा=ा मे बिना रुकावट गुणवत्ता पूर्ण विद्युत आपुर्ति होगी। इस परियोजना से आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र मे कृशि एवं औद्योगिक विकास होने से रोजगार के अवसर mतपन्न होने की पुरी संभावना है। राज्य के विकास के लि, इस महत्वाकां{ाी प्रस्ताव हेतु 19.907 हे0 वन भूमि ब्यापवर्तन की स्वीकृति करने की अनुशंसा सहित प्रेशित है।

दिनांक : 9-11-16

स्थान : सूरजपुर

NAVEED SHUJAUDDIN (I.F.S.)
वनमण्डलाधिकारी,
Divisional Forest Officer
सूरजपुर वनमण्डल, सूरजपुर
Division Surajpur(C.G.)